

मैसर्स राणा गर्डर्स लिमिटेड

बनाम

भारत संघ और अन्य

सिविल अपील संख्या 6802/2013

निर्णय दिनांक 16-08-2013

[माननीय न्यायाधिपति श्री अनिल आर. दवे और श्री ए के सीकरी,
जे.जे.]

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 - धारा 29 - सार्वजनिक नीलामी के तहत सम्पत्ति का क्रय- सभी भारों से मुक्त होना- यद्यपि विक्रय विलेख तथा विक्रय करार क्रेता पर सम्पत्ति से उत्पन्न होने वाली विधायी मागों को वहन करने की शर्त का उल्लेख करता है- उत्पाद शुल्क विभाग के प्रति सम्पत्ति के पूर्व स्वामी की देनदारी के निर्वहन के सन्दर्भ में क्रेता का दायित्व- अभिनिर्धारित किया गया कि उत्पाद शुल्क का बकाया विधायी देनदारी नहीं है- चूँकि क्रेता द्वारा सम्पत्ति को सभी भारों से मुक्त क्रय किया गया है तथा उसके द्वारा सम्पूर्ण इकाई का क्रय एक व्यवसाय के रूप में नहीं किया गया है, वह पूर्व स्वामी के उत्पाद शुल्क के भुगतान हेतु दायी नहीं है।

प्रष्णगत सम्पत्ति उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यू.पी.एफ.सी.) द्वारा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत अधिगृहित की गई थी। यू.पी.एफ.सी. द्वारा सार्वजनिक नीलामी आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी कम्पनी, जिसके द्वारा उच्चतम बोली लगाई गई थी, विक्रय विलेख तथा कराक के जरिए सन्दर्भित भूमि तथा इमारत के साथ ही इकाई तथा संयंत्र की स्वामी बन गई थी। ऋणी के द्वारा नीलामी वैधता को प्रष्णगत नहीं किया गया था तथा नीलामी का तथ्य अन्तिमता प्राप्त कर चुका था।

ऋणी की उत्पाद शुल्क विभाग के प्रति देनदारी बकाया थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा भूमि और भवन और संयंत्र और मशीनरी के खरीदार और पूर्व स्वामी के हित के उत्तराधिकारी होने के आधार पर पूर्व स्वामी के उत्पाद शुल्क के बकाया के भुगतान की अपेक्षा की गई। अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा की गई माँग का विरोध किया गया कि चूँकि उसके द्वारा सम्पत्तियाँ सार्वजनिक नीलामी के तहत सभी प्रकार के भारों से मुक्त क्रय की गई थीं, अतः वह किसी दायित्व का निर्वहन करने हेतु दायी नहीं था।

अतः वर्तमान अपील में विचारणीय प्रष्ण यह था, कि क्या उत्पाद शुल्क विभाग अपीलार्थी से उपरोक्त बकाया राशि वसूल करने का अधिकारी था।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. एक प्रतिभूतित ऋणदाता होने के नाते यूपीएफसी को उत्पाद शुल्क बकाया पर प्राथमिकता थी, किन्तु चूंकि अपीलकर्ता ने पूरी इकाई को एक व्यवसाय के रूप में नहीं खरीदा था, वैधानिक ढांचे के अनुसार वह उत्पाद शुल्क विभाग के बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। (पैरा क्रमांक-21) (72-ई)

2. वर्तमान प्रकरण में इसका उल्लेख न केवल सार्वजनिक सूचना में किया गया था, बल्कि बिक्री विलेख/समझौते में भी एक विशिष्ट खंड डाला गया था, जिसका अर्थ है कि विचाराधीन संपत्तियां सभी भागों से मुक्त अवस्था में बेची जा रही हैं। साथ ही, यह भी शर्त है कि "भूमि से उत्पन्न होने वाली ये सभी वैधानिक देनदारियां बिक्री विलेख में क्रेता द्वारा वहन की जाएंगी" और "उक्त संपत्तियों से उत्पन्न होने वाली ये सभी वैधानिक देनदारियां विक्रेता द्वारा वहन की जाएंगी" बिक्री विलेख में विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उच्च न्यायालय के अनुसार, इन वैधानिक देनदारियों में उत्पाद शुल्क बकाया शामिल होगा। हमारे मत में उच्च न्यायालय ने इस खंड के वास्तविक आशय और उद्देश्य को नजरअंदाज कर दिया है। बिक्री विलेख के साथ-साथ संयंत्र और मशीनरी की खरीद के समझौते में अभिव्यक्तियाँ "भूमि से उत्पन्न होने वाली या वैधानिक देनदारियां, "उक्त संपत्तियों (यानी मशीनरी) से उत्पन्न होने वाली वैधानिक

देनदारियों की बात करती हैं। इस प्रकार, यह केवल वह वैधानिक दायित्व है, जो भूमि और भवन या संयंत्र और मशीनरी से उत्पन्न होता है, जिसे क्रेता द्वारा पूरा किया जाना है। उत्पाद शुल्क बकाया वैधानिक देनदारियां नहीं हैं, जो भूमि और भवन या संयंत्र और मशीनरी से उत्पन्न होती हैं। भूमि और भवन से उत्पन्न होने वाली वैधानिक देनदारियां संपत्ति कर या संपत्ति से संबंधित अन्य प्रकार के उपकर आदि के रूप में हो सकती हैं। इसी तरह, संयंत्र और मशीनरी से उत्पन्न होने वाली वैधानिक देनदारी, उक्त पर देय बिक्री कर आदि हो सकती है। मशीनरी. जहां तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बकाए का सवाल है, वे उक्त संयंत्र और मशीनरी या भूमि और भवन से संबंधित नहीं थे और इस प्रकार उन संपत्तियों से उत्पन्न नहीं हुए थे। उत्पाद शुल्क विभाग का बकाया पूर्ववर्ती स्वामी द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण पर देय हो गया था, इसलिए, ये वैधानिक बकाया उन उत्पादित वस्तुओं के संबंध में हैं, न कि उस संयंत्र और मशीनरी के संबंध में जो निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया था। इस बारीक अंतर पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। उच्च न्यायालय का निर्णय विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है। उत्पाद शुल्क विभाग का नोटिस जिसमें अपीलकर्ता को संबंधित इकाई के पूर्व स्वामी का बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया था, भी अपास्त किया जाता है। (पैरा क्रमांक 23 तथा 24)

मैसर्स मैस्कॉन मार्बल्स प्रा. लि. बनाम भारत संघ 2003 (158) ई
एल टी 424 एस सी भारत संघ बनाम सिकॉम लि. 2009 (2) एस सी सी
121०: 2008 (17) एस सी आर 120 कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम श्रेयस
पेपर्स (प्रा.) लि. व अन्य जे टी 2006 (1) एस सी 180०: 2006 (1) एस
सी आर 235 देना बैंक बनाम भीखाभाई प्रभुदास पारेख व कम्पनी व अन्य
(2000) 5 एस सी सी 694०: 2000 (3) एस सी आर 509 निर्णय
सन्दर्भ:-

केस कानून संदर्भ

2003 (158) ई एल टी 424 एस सी	सन्दर्भ	पैरा संख्या 10
2008 (17) एस सी आर 120	सन्दर्भ	पैरा संख्या 13
2006 (1) एस सी आर 235	सन्दर्भ	पैरा संख्या 16
2000 (3) एस सी आर 509	सन्दर्भ	पैरा संख्या 19

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या- 6802/2013

ईलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा टैक्स रिट संख्या 383/2005 में
दिनांक 25.11.2011 को पारित निर्णय तथा आदेश के विरुद्ध।

अपीलार्थी की ओर से:-श्री राजेश कुमार, श्री कृष्णा कुमार आर.एस.,
श्री के.एस. महादेवन तथा श्री आर.के. श्रीवास्तव।

प्रत्यर्थी की ओर से:- श्री के. राधाकृष्णन, श्री शिरीष कुमार मिश्रा,
श्री के. स्वामी तथा श्री बी. कृष्णा प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधिपति श्री ए के सीकरी, जे.
द्वारा सुनाया गया

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. एक मेसर्स. पीजे स्टील्स प्रा. लिमिटेड (उधारकर्ता) ने उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) से ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। ऋण चुकाने में उक्त उधारकर्ता की ओर से लगातार चूक के कारण, यूपीएफसी ने उधारकर्ता की भूमि और भवन पर कब्जा कर लिया, जो यूपीएफसी के पास बंधक/प्रतिभूति के रूप में रखे गए थे। यह कार्रवाई राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत की गयी। यूनिट का भौतिक कब्जा लेने के बाद, यूपीएफसी ने 8 जनवरी 2002 को जारी विज्ञापन के अनुसार सार्वजनिक नीलामी आयोजित की। यूपीएफसी द्वारा आयोजित उक्त सार्वजनिक नीलामी में, अपीलकर्ता (अपीलकर्ता जिसे उस समय मेसर्स सरजू स्टील्स प्राइवेट के नाम से जाना जाता था और जो अब एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो गई है, जिसे मेसर्स राणा गर्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है), दिनांक 20 मार्च 2002 को भूमि और भवन के साथ-साथ संयंत्र के संबंध में सबसे ऊंची और सफल बोली लगाने वाली कंपनी थी। बिक्री विलेख दिनांक 8.3.2002 को भूमि

और भवन के लिए अपीलकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया था। इसी तरह, दिनांक 14.3.2002 को संयंत्र और मशीनरी के स्वामित्व को अपीलकर्ता के पक्ष में अनुबंध निष्पादित करते हुए स्थानान्तरित किया गया था।

3. उपरोक्त बिक्री विलेख और समझौते के साथ, अपीलकर्ता भूमि और भवन और संयंत्र और मशीनरी दोनों का मालिक बन गया है। उधारकर्ता ने उक्त नीलामी की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है, जो पूर्ण हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है, कि उधारकर्ता को उत्पाद शुल्क की देयता का भी भुगतान करना था, जो कि रु. 1,00,72,442/- थी। उक्त राशि की वसूली के लिए, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ-प्रथम (यहां प्रतिवादी संख्या 2) अब अपीलकर्ता पर भूमि और भवन और संयंत्र और मशीनरी के खरीदार और उत्तराधिकारी के रूप में इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अपीलकर्ता इस मांग का विरोध कर रहा है कि चूंकि उपरोक्त संपत्तियों को अपीलकर्ता ने यूपीएफसी से खुली नीलामी में सभी भार से मुक्त खरीदा है, इसलिए उत्पाद शुल्क विभाग के बकाए का भुगतान करना क्रेता का दायित्व नहीं है।

4. इसलिए, इस अपील में हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है, वह यह है कि क्या उत्पाद शुल्क विभाग अपीलकर्ता से प्रश्नगत

राशि की वसूली कर सकता है। यह प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में सामने आया है:-

5. जैसा कि पूर्व में उजागर किया गया है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत उधारकर्ता की इकाई का कब्जा लेने के बाद, यूपीएफसी ने उक्त संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी के लिए समाचार पत्रों में दिनांक 8.1.2002 को एक विज्ञापन जारी किया था। उक्त विज्ञापन के द्वारा, उधारकर्ता की 13390 वर्ग मीटर भूमि और 2429 वर्ग मीटर के आच्छादित क्षेत्र, संयंत्र और मशीनरी और अन्य अचल संपत्तियों वाली भूमि और भवन की बिक्री के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे ("जैसा है जहां है के आधार पर")। इस सार्वजनिक सूचना में कुछ नियम और शर्तें भी निर्धारित की गईं थीं, जिनके सन्दर्भ में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। उसकी पहली शर्त, जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:-

"भूमि से उत्पन्न होने वाली सभी वैधानिक देनदारियां क्रेता द्वारा वहन की जाएंगी (बिजली बकाया को छोड़कर)। बिक्री के अन्य नियम एवं शर्तें कार्यालय में प्रेषित की जा सकती हैं।"

6. अपीलकर्ता सफल बोलीदाता था, जिसकी भूमि और भवन के लिए 43 लाख रुपये की बोली उच्चतम होने के कारण यूपीएफसी द्वारा स्वीकार कर ली गई। 8 मार्च 2002 को विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। इस

बिक्री विलेख में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, कि संपत्ति सभी भार से मुक्त है, तथा इस सन्दर्भ में विक्रय विलेख में यह उल्लेख किया गया था कि:- "विक्रेता इस बात की पुष्टि करता है कि विक्रेता के पक्ष में बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति सभी शुल्कों और बाधाओं से मुक्त है।" अपीलकर्ता ने बिक्री विलेख के पंजीकरण के समय 21.50 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था और 21.50 लाख रुपये की शेष राशि अपीलकर्ता द्वारा यूपीएफसी को भुगतान की जानी थी जो 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ देय थी तथा विक्रय विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार किशतों में देय थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि इस शेष राशि का भुगतान अपीलकर्ता द्वारा यूपीएफसी को कर दिया गया है। विक्रय विलेख में एक और शर्त, जिसका सार्वजनिक नोटिस में भी उल्लेख किया गया था, वह यह थी:-

"उक्त संपत्तियों से उत्पन्न होने वाली सभी वैधानिक देनदारियां विक्रेता द्वारा वहन की जाएंगी और विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।"

7. अपीलकर्ता ने उक्त नीलामी में कुल 1 करोड़ 93 लाख रुपये में संयंत्र और मशीनरी भी खरीदी, जिसके लिए पक्षकारों द्वारा दिनांक 15 मार्च 2002 को अनुबंध निष्पादित किया गया था। इस अनुबंध में भी बिक्री विलेख के खंडों के समान दोनों खंड शामिल थे, अर्थात्, उक्त संयंत्र और

मशीनरी सभी भारों से मुक्त थी और औद्योगिक इकाई के संयंत्र और मशीनरी से उत्पन्न होने वाली सभी वैधानिक देनदारियां क्रेता अर्थात अपीलकर्ता द्वारा वहन की जानी थीं।

8. उस समय, प्रतिवादी नंबर 2 को देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क की कुछ बकाया मांगें लंबित थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उधारकर्ता ने इस संबंध में मूल आदेश दिनांक 29.8.2002 के खिलाफ दो अपीलें दायर की थीं। इन दोनों अपीलों को सी.ई.एस.टी.ए.टी. द्वारा 30 अप्रैल 2003 को, अपने स्थगन आदेश दिनांक 18 मार्च 2003 में निर्देशित पूर्व-जमा राशि जमा करवाए जाने के निर्देश का अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दिया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत निर्णायक प्राधिकारी द्वारा कुछ शास्तिया भी अधिरोपित की गई थीं, जिनके विरुद्ध उधारकर्ता द्वारा पुनः अपील की गई थी। वह अपील भी 30 अप्रैल 2003 और 25 मई 2004 को खारिज कर दी गई, जिससे सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की मांग की पुष्टि की गई थी।

9. प्रतिवादी संख्या 2 और उधारकर्ता के बीच उपरोक्त कानूनी कार्यवाही के समापन के उपरान्त, उधारकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को देय शुल्क और जुर्माने के कारण निम्नलिखित राशि देय हो गई:-

एडीजे. आदेश क्रमांक एवं	पुष्टि की गई मांगों की राशि
-------------------------	-----------------------------

दिनांक	शुल्क (रूपये में)	जुर्माना (रूपये में)	आरएफ	शास्ति
28/कॉमर/एमआरटी /02/दिनांक 29.08.02	4298571	4298571	1000000
16/जेटी. कॉमर/2003	669862	669862
82/कार्या./136/01/02 दिनांक 22.11.02	115576	20000

10. चूंकि अपीलकर्ता ने यूपीएफसी द्वारा आयोजित नीलामी में उधारकर्ता की भूमि और भवन के साथ-साथ संयंत्र और मशीनरी खरीदी थी, प्रतिवादी नंबर 2 ने अपीलकर्ता को दिनांक 25.8.2004 को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रश्नगत राशि का भुगतान अब अपीलकर्ता का दायित्व बन गया था और उपरोक्त भुगतान की मांग की। नोटिस में यह उल्लेख किया गया था कि यह राशि मेसर्स मैक्सन मार्बल्स प्रा. लिमिटेड बनाम. भारत संघ 2003 (158) ईएलटी 424 एससी के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विधिक स्थिति के मद्देनजर अपीलकर्ता द्वारा देय थी।

11. अपीलकर्ता ने प्रारम्भ में उत्पाद शुल्क विभाग से नोटिस में उल्लिखित तीन प्रकरणों से संबंधित न्यायनिर्णयन आदेशों की प्रतियां प्रदान

करने का अनुरोध किया था। इसके पश्चात, दिनांक 7.12.2004 के जवाब में, अपीलकर्ता ने यह कहते हुए देनदारी पर विवाद किया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार यह राशि उससे वसूली योग्य नहीं है, क्योंकि उसने उपरोक्त संपत्तियों को यूपीएफसी से नीलामी में "सभी प्रभारों से मुक्त" खरीदा था। हालांकि, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने जोर देकर कहा कि अब उक्त राशि का भुगतान अपीलकर्ता का दायित्व बन गया है और भुगतान में विफल रहने पर भुगतान की मांग करते हुए यह संसूचित किया और चेतावनी दी कि भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी।

12. इस स्तर पर, अपीलकर्ता ने राजस्व विभाग द्वारा उठाई गई मांगों की वैधता पर सवाल उठाते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद, 1 दिसंबर 2011 के आक्षेपित फैसले के तहत, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बिक्री विलेख और समझौते में अनुबंधों के मद्देनजर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना अपीलकर्ता का दायित्व है। उक्त आदेश ही वर्तमान अपील का विषय है।

13. उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से उजागर होता है कि उत्पाद शुल्क विभाग ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका का इस आधार पर विरोध किया था कि अपीलकर्ता उत्तराधिकारी-हितधारक है, जिसने भूमि

और भवन के साथ-साथ संयंत्र भी खरीदा था और मैसर्स मैक्सन प्रकरण में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके विपरीत, अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि चूंकि अपीलकर्ता ने मुख्य उधारकर्ता की पूरी इकाई नहीं खरीदी थी, इसलिए मैसर्स मैक्सन प्रकरण का निर्णय लागू नहीं होता था। इसके विपरीत अपीलार्थी द्वारा भारत संघ बनाम सिकाॅम लिमिटेड 2009 (2) एससीसी 121 में अभिनिर्धारित निष्कर्ष का वर्तमान प्रकरण में लागू होने का कथन किया गया था। यह तर्क दिया गया कि मैसर्स. मैक्सन के प्रकरण को इस न्यायालय द्वारा सिकाॅम लिमिटेड में मामले को विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मैसर्स मैक्सन के प्रकरण का निष्कर्ष केवल "व्यवसाय के स्वामित्व के हस्तांतरण में लागू होगा अर्थात् जब एक क्रियाशील कारोबार के रूप में व्यवसाय की बिक्री हो, न कि केवल इसकी निर्दिष्ट संपत्तियों के हस्तांतरण के मामले में। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के सिकाॅम लिमिटेड के साथ-साथ इसी तर्ज पर कुछ उच्च न्यायालयों के विभिन्न अन्य निर्णयों का हवाला देकर इस भिन्नता को विचारित किया था, यद्यपि, इस पहलू पर चर्चा को अनिर्णीत छोड़ते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले को पूरी तरह से अलग आधार पर आधारित किया, अर्थात् बिक्री विलेख दिनांक 8.3.2002 में इस शर्त पर कि संपत्ति से उत्पन्न होने वाली वैधानिक देनदारियाँ प्रतिवादी (अर्थात् अपीलकर्ता) द्वारा वहन की जाएंगी। भूमि और भवन से

संबंधित बिक्री विलेख और संयंत्र और मशीनरी के लिए बिक्री समझौते के सम्बंधित खण्डों का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। उच्च न्यायालय के अनुसार, इन अनुबंधों द्वारा अधिरोपित शर्त पूर्णतया स्पष्ट और विरोधाभास रहित थी, जिसके अनुसार अपीलकर्ता वैधानिक देनदारियों का निर्वहन करने के लिए सहमत हुआ था और चूंकि उत्पाद शुल्क बकाया प्रकृति में वैधानिक था, इसलिए इसे भुगतान करना अपीलकर्ता का दायित्व बन गया था। हालाँकि, जहाँ तक जुर्माने का सवाल है, यह माना जाता है कि इस तरह का भार अपीलकर्ता पर नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि यह अर्ध-आपराधिक दायित्व की प्रकृति में है जो केवल ऋण लेने वाले व्यतिक्रमी पर ही अधिरोपित किया जा सकता है। इस प्रकार, रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

14. हमारे समक्ष, राजस्व विभाग के विद्वान वकील द्वारा दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया गया है, कि चूंकि उत्पाद शुल्क एक वैधानिक दायित्व है, इसलिए इस शुल्क का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसने व्यतिक्रमी उधारकर्ता की संपत्ति खरीदी थी, भले ही संपत्ति राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत नीलामी में बेची गई हो। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में उच्च न्यायालय यह सही अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, बिक्री विलेख के साथ-साथ बिक्री के समझौते में शर्तों के आधार पर, वह उत्पाद शुल्क दायित्व का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी था। इन परिस्थितियों

में, विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं, अर्थात् (1) भूमि और भवन के बिक्री विलेख और संयंत्र और मशीनरी की बिक्री के समझौते में निहित शर्तों की व्याख्या पर, क्या अपीलकर्ता उत्पाद शुल्क को उधारकर्ता द्वारा विभाग को देय बकाया का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था। (2) क्या ऐसा दायित्व उत्पाद शुल्क अधिनियम और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में निहित कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कानून (बिक्री विलेख/बिक्री के समझौते में शर्तों को समाप्त करना) के तहत उत्पन्न होता है?

15. हम सबसे पहले दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, हालांकि उच्च न्यायालय ने कानून की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है लेकिन इस प्रश्न पर अपनी अंतिम राय देने से स्वयं को विरत रखा है।

16. क्या यूपीएफसी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 230 (2) के संबंध में अपने बकाया के संबंध में बंधक विलेख या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आधार पर एक सुरक्षित ऋणदाता होने की प्राथमिकता होगी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा कर्नाटक और अन्य के बनाम श्रेयश पेपर्स (पी) लिमिटेड और अन्य जेटी 2006 (1) एससी 180 में विचार किया गया था। उक्त प्रकरण में उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 230 के प्रावधानों को संज्ञान में लेते हुए, न्यायालय ने माना कि यह प्रावधान देय राशि का

भुगतान या वसूली होने तक ऐसे व्यापार या व्यवसाय को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की या व्यवसाय या व्यापार या उसके हिस्से को उत्तराधिकार में प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संरक्षण या कब्जे की सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं, सामग्रियों, तैयारियों, संयंत्र, मशीनरी, जहाजों, बर्तनों, उपकरणों और लेखों के निरूद्ध किए जाने को अधिकृत करता है। हालाँकि, नियम किसी भी तरह से उसमें सूचीबद्ध किसी भी सामान पर कोई भार अधिरोपित नहीं करते हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 100 में परिभाषित "भार" शब्द की व्याख्या करने के बाद, यह माना गया कि भार "निरूद्ध" शब्द से अलग होगा। चूंकि नियम 230 केवल निरूद्ध किए जाने का अधिकार देता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या नियमों के तहत कोई अन्य प्रावधान नहीं था जो सर्वोच्च प्राथमिकता पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली को प्रभावी करने के लिए किसी इकाई की संपत्ति पर कोई शुल्क लगाने की परिकल्पना करता हो। न्यायालय ने माना कि यूपीएफसी को एक ओर सुरक्षित ऋणदाता होने की प्राथमिकता है और दूसरी ओर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पास संपत्ति पर कोई "प्रभार" नहीं है। न्यायालय ने विशेष रूप से इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उस मामले में याचिकाकर्ता व्यवसाय या व्यापार में पूर्व स्वामी का उत्तराधिकारी नहीं था और उसने पिछले मालिक के व्यवसाय या व्यापार से स्वतंत्र होकर बिना किसी भार के संपत्ति अर्जित की थी, अतः वह पिछले स्वामी के

उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति का संरक्षक या कब्जाधारक नहीं था, जिसके विरुद्ध उत्पाद शुल्क की मांग की गई थी।

17. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने मैसर्स मैक्सन (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक अवलम्बन किया है, जिसका संदर्भ दिनांक 25.02.1984 के नोटिस में भी दिया गया है, जो कि उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा अपीलकर्ता को दिया गया था। उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि उस मामले में इस न्यायालय ने माना था कि हित में उत्तराधिकारी भी उत्पाद शुल्क विभाग के दायित्व का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि, इस मामले पर सिकाॅम लिमिटेड (सुप्रा) में विचार किया गया था और विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया गया था। उस मामले में, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के तहत वित्तीय निगम के वैधानिक अधिकार और उसमें होने वाले गैर-अप्रत्याषित खंड पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि राज्य वित्तीय निगम के पास अपने सुरक्षित ऋणों के संबंध में अधिमान्य दावा होगा। इस स्थिति को उक्त निर्णय के पैराग्राफ 16 और 23 में निम्नलिखित तरीके से समझाया गया है:-

“16. यदि किसी कंपनी के पास वैध जब्ती के बावजूद कोई मौजूदा हित है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अचल संपत्ति पर शुल्क/बंधक का परिणाम समान होगा।

23. इसके अतिरिक्त, राज्य वित्तीय निगम का अधिकार वैधानिक है। अधिनियम की धारा 46-बी में एक गैर-अप्रत्याशित खंड शामिल है जो इस प्रकार है:-

“46-बी. अन्य कानूनों पर अधिनियम का प्रभाव - इस अधिनियम के प्रावधान और इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का प्रभाव किसी भी अन्य कानून में या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी भी अन्य प्रपत्र या किसी औद्योगिक संगठन के ज्ञापन या लेखों में असंगत होने के बावजूद प्रभावी होगा लेकिन पूर्वोक्त के अलावा, इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके न्यूनकारी।”

18. जहां तक कर या उत्पाद शुल्क आदि के रूप में सरकार की बकाया राशि का संबंध है, न्यायालय की राय थी कि बकाया वसूलने का क्राउन का अधिकार विषय के अधिकार पर हावी होगा। क्राउन ऋण का अर्थ है राज्य या राजा को देय ऋण। हालाँकि, ऐसे लेनदारों का तात्पर्य अप्रतिभूतित लेनदार ही माना जाना चाहिए। क्राउन ऋण का सिद्धांत सामान्य कानून सिद्धांत से संबंधित है। जब संसद या राज्य विधानमंडल

कोई अधिनियम बनाता है, तो वह सामान्य कानून पर लागू होगा और इस प्रकार भारत के संविधान के लागू होने की तिथि पर मौजूद सामान्य कानून सिद्धांतों को एक वैधानिक प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक ऋण, जो प्रतिभूतित है या जो कानून के प्रावधानों के कारण संपत्ति पर पहला शुल्क बन जाता है, उसे क्राउन ऋण पर अधिष्ठायी माना जाना चाहिए जो एक अप्रतिभूतित ऋण है। इस तर्क के आधार पर, वित्तीय निगम जैसे प्रतिभूतित ऋणदाता को देय ऋण को केंद्रीय उत्पाद शुल्क बकाया के मुकाबले प्राथमिकता दी गई थी।

19. इस सिद्धांत के सन्दर्भ में, न्यायालय ने देना बैंक बनाम भीखाभाई प्रभुदास पारेख एंड कंपनी और अन्य (2000) 5 एससीसी 694 में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें क्राउन ऋणों को प्राथमिकता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:-

”क्राउन ऋणों की प्राथमिकता या पूर्वता का सामान्य कानून सिद्धांत क्या है ? संपत्ति के संबंध में क्राउन के सामान्य अधिकारों के सन्दर्भ में हैल्सबरी में कहा गया है कि जहां क्राउन के अधिकार और किसी प्रजा के अधिकार के मध्य वरीयता का प्रश्न हो तो आम तौर पर “ प्रतिष्ठित व्यक्ति ” (इंग्लैंड के कानून, चौथा संस्करण, खंड 8, पैरा 1076, पृष्ठ

666) के नियम के आधार पर क्राउन को प्राथमिकता दी जाती है।

"रेजिस डोमिनि और सबदिति समवर्ती जूस रेजिस प्रेगेरी बहस के बारे में" - जहां शासक और प्रजा के अधिकार में वरीयता का प्रश्न हो तो वहां शासक के अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मामले में कमजनत कपहदपवतप नियम है। ऐसी स्थिति में कमजनत कपहदपवतप का नियम लागू होता है....जहां शासक और प्रजा के अधिकार में परस्पर वरीयता का प्रश्न हो जो वहाँ शासक के अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (लीगल मैक्जिम्स 10वां संस्करण, पृ. 35-36)

राज्य के ऋणों की प्राथमिकता के इस सामान्य विधि के सिद्धांत को भारत के उच्च न्यायालयों द्वारा 1950 से पहले ब्रिटिश भारत में मान्यता प्रदान की गई है और इसलिए इस सिद्धांत को संविधान के अनुच्छेद 372(1) के अर्थ के भीतर "प्रभावी विधि के रूप में माना गया है।"

इसके अतिरिक्त यह भी अवधारित किया गया है कि:-

"हालांकि, अन्य लेनदारों के मुकाबले ऋण की वसूली का शासक का अधिमान्य अधिकार सामान्य या गैर-प्रतिभूतित

लेनदारों तक ही सीमित है। इंग्लैंड की सामान्य विधि या साम्या एवं सद्विवेक के सिद्धांत (जैसा कि भारत पर लागू होता है) शासक को गिरवीदार या माल गिरवी रखने वाले या प्रतिभूतित लेनदार पर अपने ऋण की वसूली के लिए अधिमान्य अधिकार नहीं देता है। केवल ऐसे मामलों में जहां शासक के अधिकार और प्रजा के अधिकार में परस्पर वरीयता का प्रश्न हो, वहीं सामान्यतया शासक के अधिकार को प्राथमिकता दी जाती है। जहां शासक के अधिकार का उद्भव होने से पूर्व ही प्रजा के अधिकार पूर्ण और परिपूर्ण है, वहां यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी समय पर उपरोक्त दोनों के अधिकार परस्पर विरोधी नहीं होते हैं तथा ऐसी स्थिति में किसी अधिकार को किसी दूसरे के अधिकार पर वरीयता प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जाइल्स बनाम गोवर में यह माना गया है कि माल की गिरवी पर शासक की कोई प्राथमिकता नहीं है। बैंक ऑफ बिहार बनाम बिहार राज्य में इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है कि गिरवी रखने वाले के अधिकारों को, जिसने माल की सुरक्षा पर गिरवी रखने वाले के पक्ष में पैसा दिया है, माल की विधिपूर्ण जब्ती से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है तथा गिरवी रखने वाले के

दावे को पहले पूरी तरह से संतुष्ट किए बिना गिरवी रखने वाले के अन्य लेनदारों को धन उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। राशबिहारी घोष बंधक कानून (टीएलएल, 7 वां संस्करण, पृष्ठ 386) में कहते हैं - "ऐसा लगता है कि भारत में सरकारी ऋण पूर्व सुरक्षित ऋण पर प्राथमिकता का हकदार नहीं है।"

20. हित में उत्तराधिकारी के सन्दर्भ में न्यायालय ने मैसर्स मैक्सन के प्रकरण में प्रतिपादित कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है तथा यह अवधारित किया है कि इस तरह का दायित्व उस व्यक्ति पर अािरोपित किया जा सकता है जिसने पूरी इकाई को एक चालू संस्था के रूप में खरीदा था, न कि उस व्यक्ति पर जिसने भूमि और भवन या पूर्ववर्ती संस्था की मशीनरी खरीदी थी। यह अंतर पैराग्राफ 24 और 25 में सामने लाया और समझाया गया है और इसे नीचे पुनः उद्धरित करना हमारे लिए उपयोगी होगा:-

"सुश्री राव द्वारा मैक्सन मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) का अवलम्बन किया गया है, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत बकाया राशि को नीलामी क्रेता से वसूली योग्य माना गया था, जिसमें कहा गया था:-

हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि राज्य अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और वही केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम पर लागू होगा। उनमें से प्रत्येक एक विशेष अधिनियम है और जब तक उसके संचालन में कोई संघर्ष उत्पन्न न हो, इस पहलू की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में निगम और उत्पाद विभाग के बीच इस तरह का कोई टकराव पैदा नहीं होता। इसलिए मामले के इस पहलू की जांच करना अनावश्यक है।

विभाग ने इस अधिनियम की धारा 11ए के तहत कार्यवाही शुरू करते हुए प्रतिवादी नंबर 4 की देनदारी तय की और माना कि प्रतिवादी नंबर 4 भी 3 लाख रुपये की राशि में जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है, जबकि देय उत्पाद शुल्क एक लाख या उससे अधिक का होगा। यह कल्पना करना कठिन है कि अपीलकर्ता के पास न्यायनिर्णयन कार्यवाही में भाग लेने और जुर्माना लगाने के खिलाफ लड़ने का कोई अवसर था। इसलिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि उक्त राशि, यदि पहले ही भुगतान कर दी गई है, तीन महीने की अवधि के भीतर वापस कर दी जाएगी। अन्य मामलों में उच्च

न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश निर्विवादित रहेगा। अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।”

अतः, निर्णय उस मामले के तथ्यों के आधार पर दिया गया था। जिस मुद्दे से वर्तमान प्रकरण में हमारा सीधा सरोकार है, वह उपरोक्त प्रकरण में विचार में नहीं लिया गया था। न्यायालय ने देना बैंक के बाध्यकारी पूर्व निर्णय और यहां पहले उल्लिखित अन्य निर्णयों पर भी ध्यान नहीं दिया था।

21. मैकसन और सिकॉम में निर्णयों का एक सामंजस्यपूर्ण अध्ययन हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करेगा कि यह केवल उन मामलों में है, जहां खरीदार ने पूरी इकाई यानी संपूर्ण व्यवसाय ही खरीदा है, वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दायित्व का निर्वहन करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। अन्यथा, पष्चात्त्वर्ती क्रेता को सरकार के बकाए से संबंधित दायित्व से नहीं जोड़ा जा सकता, जब तक कि कानून में “क्रेता हेतु प्रथम दायित्व का दावा करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान न हो। जहां तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम का सवाल है, सिकॉम के प्रकरण में भी ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान उल्लेखित नहीं किया गया था। धारा 11 का प्रावधान अब केवल 10.9.2004 से अधिनियम में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। इसलिए, हम इस परंतुक के संबंध में अपनी चर्चा से बच रहे हैं, क्योंकि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह लागू नहीं होता है। तदनुसार,

हमारा मानना है कि जहां तक विधिक स्थिति का प्रश्न है, एक प्रतिभूतित ऋणदाता होने के नाते यूपीएफसी को उत्पाद शुल्क बकाया पर प्राथमिकता थी। हमारे मत में, चूंकि अपीलकर्ता ने पूरी इकाई को एक व्यवसाय के रूप में नहीं खरीदा था, वैधानिक ढांचे के अनुसार वह उत्पाद शुल्क विभाग के बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

22. इसके साथ, अब हम पहले मुद्दे पर लौटते हैं, अर्थात् भूमि और भवन के लिए बिक्री विलेख में उस खंड की व्याख्या और मशीनरी के लिए बिक्री के समझौते में समान खंड जिसके आधार पर अपीलकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इन खंडों को हमारे फैसले के पहले हिस्से में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

23. हम देख सकते हैं कि पहली बार में इसका उल्लेख न केवल सार्वजनिक सूचना में किया गया था, बल्कि बिक्री विलेख/समझौते में भी एक विशिष्ट खंड डाला गया है, जिसका अर्थ है कि विचाराधीन संपत्तियां सभी भारों से मुक्त अवस्था में बेची जा रही हैं। साथ ही, यह भी शर्त है कि "भूमि से उत्पन्न होने वाली ये सभी वैधानिक देनदारियां बिक्री विलेख में विक्रेता द्वारा वहन की जाएंगी और "उक्त संपत्तियों से उत्पन्न होने वाली ये सभी वैधानिक देनदारियां विक्रेता द्वारा वहन की जाएंगी बिक्री विलेख में विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उच्च न्यायालय के अनुसार, इन वैधानिक देनदारियों में उत्पाद शुल्क बकाया शामिल होगा। हमारे मत

में उच्च न्यायालय ने इस खंड के वास्तविक आषय और उद्देश्य को नजरअंदाज कर दिया है। बिक्री विलेख के साथ-साथ संयंत्र और मशीनरी की खरीद के समझौते में अभिव्यक्तियाँ "भूमि से उत्पन्न होने वाली या वैधानिक देनदारियां, "उक्त संपत्तियाँ (यानी मशीनरी) से उत्पन्न होने वाली वैधानिक देनदारियों की बात करती हैं। इस प्रकार, यह केवल वह वैधानिक दायित्व है, जो भूमि और भवन या संयंत्र और मशीनरी से उत्पन्न होता है, जिसे क्रेता द्वारा पूरा किया जाना है। उत्पाद शुल्क बकाया वैधानिक देनदारियां नहीं हैं, जो भूमि और भवन या संयंत्र और मशीनरी से उत्पन्न होती हैं। भूमि और भवन से उत्पन्न होने वाली वैधानिक देनदारियां संपत्ति कर या संपत्ति से संबंधित अन्य प्रकार के उपकर आदि के रूप में हो सकती हैं। इसी तरह, संयंत्र और मशीनरी से उत्पन्न होने वाली वैधानिक देनदारी, उक्त पर देय बिक्री कर आदि हो सकती है। मशीनरी. जहां तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बकाए का सवाल है, वे उक्त संयंत्र और मशीनरी या भूमि और भवन से संबंधित नहीं थे और इस प्रकार उन संपत्तियों से उत्पन्न नहीं हुए थे। उत्पाद शुल्क विभाग का बकाया पूर्ववर्ती स्वामी द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण पर देय हो गया था, इसलिए, ये वैधानिक बकाया उन उत्पादित वस्तुओं के संबंध में हैं, न कि उस संयंत्र और मशीनरी के संबंध में जो निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया था। इस बारीक अंतर पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है।

24. इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को अपास्त किया दिया जाता है। परिणामस्वरूप, उत्पाद शुल्क विभाग का नोटिस जिसमें अपीलकर्ता को संबंधित इकाई के पूर्व स्वामी का बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया था, भी अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता इस अपील के व्यय का भी हकदार होगा।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुश्री मान सिंह चूण्डावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।